



के नाम पर दफ्तर  
आवे और अर्जिन  
इसके का इसूल नहीं  
हो तो हम बारीक  
के नाम पर दफ्तर की  
आवे।

मेने अर्जिन को  
सुना। मजबूती का  
अवलोकन किया।  
अनुसार जाना बारी  
अवधि किया जा रहा है।  
निर्णय हुआ  
ये अर्जिन नाम का  
जो अर्जिन मजबूती के  
मजबूती सुनार के द्वारा  
लेकर अर्जिन दफ्तर  
के निर्णय का  
दिल्ली 2/5/2018 को  
अर्जिन को  
पर सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) गुलाबपुर  
जिला-भीलवाड़ा